न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 25/2018
दायर दिनांक : 29.10.2018
आदेश दिनांक : 28.02.2019

–:अनवान:–

श्री शेषमल उर्फ शेषनारायण पिता रामकिशन पूर्बिया निवासी कांकरोली तहसील राजसमन्द।

––––प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भू अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये प्रोजेक्ट मैनेजर भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, राजसमन्द

––––विपक्षीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997
एवार्ड क्रमांक 3014(अ)/दिनांक 04.10.2013 दिनांक 01.02.2016

उपस्थितः–

1 श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1
3. श्री दिनेश बाफना, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2
4. श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 3

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत सक्षम अधिकारी, भू अवाप्ति अधिकारी, राजसमन्द द्वारा प्रार्थी की ग्राम जावद, तहसील व जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 861, 862, 863 को अवाप्त किये जाने के संबंध में पारित अवार्ड को इस आधार पर चुनौती दी गई कि उक्त अवार्ड कम जारी किया गया है तथा अवार्ड वृद्धि के लिये विभिन्न आधार अपने प्रार्थनापत्र में लिये गये हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की आवाप्त शुदा भूमि भूखण्ड एवं संरचना राशि 14,59,768/– रूपये भुगतान से शेष है। प्रार्थी ने क्लेम/दस्तावेज पेश ना करने से भुगतान किया जाना अवशेष है। डी.एल.सी. दर के अनुसार अवार्ड जारी कर दिया है।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की उक्त आराजी संख्या 361 के संबंध में सहखातेदारान द्वारा भी अवार्ड को चुनौती दी गई है। जिनका निस्तारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश की पालना में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत भुगतान किये जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त प्रकरण भी इसी आराजी व इसी प्रकृति का है। इसलिये प्रार्थी के प्रकरण में भी संशोधित अवार्ड जारी करने का आदेश फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अवार्ड पत्रावली एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश का भी अवलोकन किया गया।

उक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत संशोधित अवार्ड जारी करने के आदेश दिये है। ऐसी स्थिति मे इस प्रकरण मे उच्च न्यायालय के आदेश के विपरित कोई भी आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त परिस्थिति मे इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में निस्तारित किया जाता है। प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

आदेश की प्रति सक्षम प्राधिकारी अधिकारी भू अवाप्ति/अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को लौटायी जावें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

आदेश आज दिनांकः 28.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर